

राजस्थान सरकार
स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान

(गी-3 राजमहल रेजीडेन्सी,सी-स्कीम, सिविल लाइन फाटक के पास, जयपुर-16)

क्रमांक: मॉ.प्र./डीएलबी/ई-गवर्नेन्स/ 5457-5469

दिनांक- 05.11.2020

आयुक्त, अधिशासी अधिकारी,
नगर नियम, परिषद /पालिका,
समस्त राजस्थान।

विषय :- नगरीय निकायों की सेवाओं की ऑनलाईन सॉफ्टवेयर (मॉड्यूल) को आमजन के लिए लागू किये जाने बाबत।

उपरोक्त विषयान्तर्गत आपको निर्देशित किया जाता है कि सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग द्वारा नगरीय निकायों की सेवाएँ क्रमशः **भवन मानचित्र अनुमोदन (BPAS)** एवं **ट्रेड लाईसेन्स** के ऑनलाईन सॉफ्टवेयर (Modual) को विकसित किया जाकर V.C. के माध्यम से निकाय के संबंधित अधिकारियों/कार्मिकों को प्रशिक्षण दिया जा चुका है। वर्तमान में उक्त दोनों सेवाएँ ऑनलाईन उपलब्ध होने के कारण तत्काल प्रभाव से लागू की जाती है।

इस संबंध में आमजन तक ऑनलाईन सॉफ्टवेयर की जानकारी पहुँचाने के लिए नगरीय निकाय की वेबसाईट पर इसकी सूचना एवं ऑनलाईन सॉफ्टवेयर का लिंक अपलोड करते हुये नगरीय निकाय के सूचना पट्ट पर भी जानकारी अंकित कराते हुये आमजन को अवगत करावें साथ ही उक्त ऑनलाईन सेवाएँ प्रदत्त करना सुनिश्चित करें।



(दीपक नन्दी)

निदेशक एवं विशिष्ट सचिव


दिनांक:-

05.11.2020

क्रमांक: मॉ.प्र./डीएलबी/ई-गवर्नेन्स/ 5470-79

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

1. निजी सचिव, शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, जयपुर।
2. निजी सचिव, निदेशक एवं विशिष्ट सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, जयपुर।
3. उप निदेशक, क्षेत्रीय स्थानीय निकाय विभाग, समस्त राजस्थान को पालनार्थ।
4. सुरक्षित पत्रावली।



अतिरिक्त निदेशक



राजस्थान सरकार
स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान

(जी-3 राजमहल रेजीडेन्सी,सी-स्कीम, सिविल लाइन फाटक के पास, जयपुर-16)

क्रमांक: मॉ.प्र./डीएलबी/ई-गवर्नेन्स/ 5457-5469

दिनांक:- 05.11.2020

आयुक्त/अधिशिषी अधिकारी,
नगर निगम/परिषद/पालिका,
समस्त राजस्थान।

विषय :- नगरीय निकायों की सेवाओं की ऑनलाईन सॉफ्टवेयर (मॉड्यूल) को आमजन के लिए लागू किये जाने बाबत।

उपरोक्त विषयान्तर्गत आपको निर्देशित किया जाता है कि सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग द्वारा नगरीय निकायों की सेवाएँ क्रमशः भवन मानचित्र अनुमोदन (BPAS) एवं ट्रेड लाईसेन्स के ऑनलाईन सॉफ्टवेयर (Modual) को विकसित किया जाकर V.C. के माध्यम से निकाय के संबंधित अधिकारियों/कार्मिकों को प्रशिक्षण दिया जा चुका है। वर्तमान में उक्त दोनो सेवाएँ ऑनलाईन उपलब्ध होने के कारण तत्काल प्रभाव से लागू की जाती है।

इस संबंध में आमजन तक ऑनलाईन सॉफ्टवेयर की जानकारी पहुँचाने के लिए नगरीय निकाय की वेबसाईट पर इसकी सूचना एवं ऑनलाईन सॉफ्टवेयर का लिंक अपलोड करते हुये नगरीय निकाय के सूचना पट्ट पर भी जानकारी अंकित कराते हुये आमजन को अवगत करावें साथ ही उक्त ऑनलाईन सेवाएँ प्रदत्त करना सुनिश्चित करें।


(दीपक नन्दी)


निदेशक एवं विशिष्ट सचिव

दिनांक:- 05.11.2020

क्रमांक: मॉ.प्र./डीएलबी/ई-गवर्नेन्स/ 5470-79

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

1. निजी सचिव, शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, जयपुर।
2. निजी सचिव, निदेशक एवं विशिष्ट सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, जयपुर।
3. उप निदेशक, क्षेत्रीय स्थानीय निकाय विभाग, समस्त राजस्थान को पालनार्थ।
4. सुरक्षित पत्रावली।



अतिरिक्त निदेशक